

झारखण्ड सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग।

—: संकल्प :—

राँची, दिनांक- 01.07.16

विषय:-

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के कम्प्यूटराईजेशन हेतु PMU का गठन एवं इसके अन्तर्गत मुख्य सूचना पदाधिकारी (CIO) एवं अन्य पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

वर्तमान में कम्प्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व पटल पर हो रहे निरंतर नूतन प्रयोगों को साकार करने की परिकल्पना कम्प्यूटर के सफल संचालन पर ही संभव हो पा रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के निरूपण विभिन्न तकनीक के आधार पर वैज्ञानिक शोधों, संचार के क्षेत्र पर प्रभावशाली निरूपण एवं निरंतर विस्तारण की पृष्ठभूमि में कम्प्यूटर का प्रयोग अवश्यसंभावी हो गया है। सरकारी क्षेत्रों में e-governance का प्रयोग एवं Digital India के कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु कम्प्यूटर की उपयोगिता अपरिहार्य है। आंकड़ों की गणना एवं IT क्षेत्र के विस्तार के कारण सुदूर ग्रामों में जनता की आकांक्षाओं का आकलन कर योजनाओं का सूत्रण उसका सफल क्रियान्वयन एवं उस पर प्रभावशाली नियंत्रण एवं विभिन्न विकास कार्यक्रमों में अपेक्षित ताल-मेल कर समन्वय स्थापित करने में उसकी भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कम्प्यूटर के प्रयोग से कई लाभ हैं, जैसे:- कार्य का त्वरित गति से निष्पादन, सरकारी तन्त्र की पारदर्शिता, प्रभावी पर्यवेक्षण एवं निगरानी, भ्रष्टाचार पर अंकुश, विभिन्न पत्र एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन सुलभ, प्रक्रिया का सरलीकरण, समय एवं श्रम की बचत, गतिविधियों का जनता द्वारा अवलोकन, इत्यादि।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन, प्रभावशाली निगरानी एवं नियंत्रण सहित हित धारकों तक इसका लाभ पहुँचाने, आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा भविष्य की योजनाओं में परिवर्तन को ध्यान में रखकर ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का प्रखण्ड से लेकर राज्य स्तर तक समन्वय, नियंत्रण एवं निगरानी हेतु हर स्तर पर कम्प्यूटराईजेशन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रखण्ड से राज्य स्तर तक ग्रामीण विकास की विभिन्न विकास योजनाओं के सफल संचालन हेतु ग्रामीण विकास विभाग (राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं प्रखण्ड कार्यालय सहित) कम्प्यूटराईजेशन का कार्य कराया जाना आवश्यक है ताकि मुख्यालय स्तर से प्रखण्ड स्तर पर की जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की गतिविधियों पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

2. योजना प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 33/स्वी० दिनांक- 21.07.2015 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के कम्प्यूटराईजेशन की योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की सहमति प्राप्त है।

3. इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष- 2015-16 में माँग संख्या- 42 के अन्तर्गत योजना मुख्य शीर्ष- 2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष- 06-स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष- 10- विभाग का कम्प्यूटरीकरण, विस्तृत शीर्ष- 07- अन्य व्यय अन्तर्गत इकाई संख्या- 81-सूचना, संचार एवं संचरण में कुल- 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र बजट उपबंध किया गया है, जिसे विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 34/स्वी० दिनांक- 29.07.2015 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. ग्रामीण विकास विभाग के कम्प्यूटराईजेशन की योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु PMU का गठन एवं इसके अन्तर्गत मुख्य सूचना पदाधिकारी एवं अन्य 5 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति के दिनांक-18.05.2016 को आयोजित बैठक की कार्यवाही (योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक-1573/10 दिनांक-26.05.2016) की कंडिका 9 में स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो निम्नवत है

मुख्य सूचना पदाधिकारी एवं अन्य पदों की विवरणी निम्नलिखित है

क्र०	पद का नाम	योग्यता	अनुभव	गठन/ संविदा राशि	पद की संख्या एवं प्रकृति	कार्य का प्रकार	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मुख्य सूचना पदाधिकारी (CIO)	<p>1. वेतनमान PB- IV, GP- 8700 रु० वाले राज्य सरकार के पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के आधार पर</p> <p>2. PB- IV, GP- 8700 रु० के पदाधिकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में PB- III GP- 7600 रु० वाले राज्य सरकार के पदा० की भी प्रतिनियुक्ति की जा सकती है।</p> <p>3. प्रतिनियुक्ति पर कोई सरकारी पदाधिकारी न मिल पाने की स्थिति में संविदा के आधार पर योग्य व्यक्ति का चयन किया जा सकता है। संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन की अन्तिम तिथि को अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।</p>	राज्य में विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं (IT Project) के सफल कार्यान्वयन का अनुभव	PB- IV 37,400-67,000 GP- 8700 रु० के आधार पर परिकलित संविदा राशि	एकल पद, प्रतिनियुक्ति/ संविदा आधारित	विभाग के कम्प्यूटराईजेशन की योजना के तहत स्वीकृत तथा संलग्न विवरणी के अनुसार किये जाने वाले सभी कार्य	दो वर्ष

2.	सिस्टम एनालिस्ट (System Analyst)	B.E. / B. Tech (C.S./I.T./E. & T.C.)/ M.C.A./ M.Sc. (I.T.) or equivalent	Software development में कम से कम 6 वर्ष के शिक्षकेतर अनुभव के साथ SDLC में 1-2 साल अनुभव	60,000.00 Rs	एकल पद, संविदा आधारित	संलग्न विवरणी
3.	डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर (Data Base Administrator)	B.E. / B. Tech (C.S./I.T.)/ M.C.A./ M.Sc. (I.T.) or equivalent	इस पद पर कम से कम 3 साल का अनुभव के साथ I.T. Sector में कम से कम 5 साल अनुभव	50,000.00 Rs	एकल पद, संविदा आधारित	संलग्न विवरणी
4.	सिनीयर सॉफ्टवेयर डेवलपर (Senior Software Developer)	B.E. / B. Tech (C.S./I.T./E. & T.C.)/ M.C.A./ M.Sc. (I.T.) or equivalent	Software Development में कम से कम 04 साल का अनुभव, NSR में निर्बंधित अभ्यर्थी को प्राथमिकता	50,000.00 Rs	एकल पद, संविदा आधारित	संलग्न विवरणी
5.	नेटवर्क इंजिनियर (Network Engineer)	B.E. / B. Tech (C.S./I.T.)/ M.C.A./ M.Sc. (I.T.) or equivalent	इस पद पर कम से कम 2 साल का अनुभव के साथ I.T. Sector में कम से कम 4 साल अनुभव	20,000.00 Rs	एकल पद, संविदा आधारित	संलग्न विवरणी
6.	सॉफ्टवेयर डेवलपर (Software Developer)	B.E. / B. Tech (C.S./I.T./E. & T.C.)/ M.C.A./ M.Sc. (I.T.) or equivalent	Software Development में कम से कम 02 साल का अनुभव, NSR में निर्बंधित अभ्यर्थी को प्राथमिकता	35,000.00 Rs	दो पद, संविदा आधारित	संलग्न विवरणी

5. मुख्य सूचना पदाधिकारी (CIO) का पद प्रतिनियुक्ति पर राज्य सेवा के पदाधिकारियों के लिए है। इस स्थिति में मुख्य सूचना पदाधिकारी (CIO) अपने ही वेतनमान में कार्य करेंगे। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के चयन से पूर्व संबंधित पदाधिकारी के पैतृक/संवर्ग नियंत्रि विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा। योग्य सरकारी कर्मी नहीं मिलने पर संविदा पर मुख्य सूचना पदाधिकारी (CIO) की नियुक्ति की जायेगी। संविदा पर नियुक्त मुख्य सूचना पदाधिकारी (CIO) एवं अन्य पदों पर नियुक्त कर्मियों के लिए राज्य सरकार द्वारा संविदा आधारित कर्मियों के लिए समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश व सेवाशर्त लागू होंगे। इन पदों पर नियुक्त कर्मियों को अनुमान्य वेतन/संविदा राशि के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा, किन्तु CIO सहित अन्य कर्मियों को कार्यहित में सरकारी कार्य हेतु की गयी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता देय होगा। यात्रा भत्ता की अनुमान्यता निम्नवत होगी :-

2.	सिस्टम एनालिस्ट (System Analyst)	B.E. / B. Tech (C.S./ I.T./ E. & T.C.)/ M.C.A./ M.Sc. (I.T.) or equivalent	Software development में कम से कम 6 वर्ष के शिक्षकेत्तर अनुभव के साथ SDLC में 1-2 साल अनुभव	60,000.00 Rs	एकल पद, संविदा आधारित	संलग्न विवरणी	दो
3.	डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर (Data Base Administrator)	B.E. / B. Tech (C.S./ I.T.)/ M.C.A./ M.Sc. (I.T.) or equivalent	इस पद पर कम से कम 3 साल का अनुभव के साथ I.T. Sector में कम से कम 5 साल अनुभव	50,000.00 Rs	एकल पद, संविदा आधारित	संलग्न विवरणी	दो
4.	सिनीयर सॉफ्टवेयर डेवलपर (Senior Software Developer)	B.E. / B. Tech (C.S./ I.T./ E. & T.C.)/ M.C.A./ M.Sc. (I.T.) or equivalent	Software Development में कम से कम 04 साल का अनुभव, NSR में निर्बंधित अभ्यर्थी को प्राथमिकता	50,000.00 Rs	एकल पद, संविदा आधारित	संलग्न विवरणी	दो
5.	नेटवर्क इंजिनियर (Network Engineer)	B.E. / B. Tech (C.S./ I.T.)/ M.C.A./ M.Sc. (I.T.) or equivalent	इस पद पर कम से कम 2 साल का अनुभव के साथ I.T. Sector में कम से कम 4 साल अनुभव	20,000.00 Rs	एकल पद, संविदा आधारित	संलग्न विवरणी	दो
6.	सॉफ्टवेयर डेवलपर (Software Developer)	B.E. / B. Tech (C.S./ I.T./ E. & T.C.)/ M.C.A./ M.Sc. (I.T.) or equivalent	Software Development में कम से कम 02 साल का अनुभव, NSR में निर्बंधित अभ्यर्थी को प्राथमिकता	35,000.00 Rs	दो पद, संविदा आधारित	संलग्न विवरणी	दो

5. मुख्य सूचना पदाधिकारी (CIO) का पद प्रतिनियुक्ति पर राज्य सेवा के पदाधिकारियों के लिए है। इस स्थिति में मुख्य सूचना पदाधिकारी (CIO) अपने ही वेतनमान में कार्य करेंगे। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के चयन से पूर्व संबंधित पदाधिकारी के पैतृक/संवर्ग नियंत्री विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा। योग्य सरकारी कर्मी नहीं मिलने पर संविदा पर मुख्य सूचना पदाधिकारी (CIO) की नियुक्ति की जायेगी। संविदा पर नियुक्त मुख्य सूचना पदाधिकारी (CIO) एवं अन्य पदों पर नियुक्त कर्मियों के लिए राज्य सरकार द्वारा संविदा आधारित कर्मियों के लिए समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश व सेवाशर्त लागू होंगे। इन पदों पर नियुक्त कर्मियों को अनुमान्य वेतन/संविदा राशि के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा, किन्तु CIO सहित अन्य कर्मियों को कार्यहित में सरकारी कार्य हेतु की गयी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता देय होगा। यात्रा भत्ता की अनुमान्यता निम्नवत होगी :-

- (349)
- i. मुख्य सूचना पदाधिकारी (CIO) को प्राप्त वेतनमान के अनुरूप।
 - ii. क्रमांक- 2, 3, 4, एवं 6 में अंकित पदों के लिए PB- II, GP- 4600 के अनुरूप।
 - iii. क्रमांक- 5 में अंकित पदों के लिए PB- I, GP- 2400 के अनुरूप तथा

6. आयु- क्रमांक- 2 से 6 तक के पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए आयु सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा सामान्य संवर्ग के लिए निर्धारित आयु सीमा के अनुरूप होगी। मुख्य सूचना पदाधिकारी (CIO) के संविदा आधारित नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। आयु की गणना आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के आधार पर परिकलित होगी।

7. मुख्य सूचना पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतनादि कंडिका- 3 में वर्णित बजट शीर्ष के अधीन विकलनीय होगा। राशि की निकासी के लिये उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जायेगी।

8. ग्रामीण विकास विभाग में कम्प्यूटराईजेशन की योजना को तीन वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। आवश्यकतानुसार कार्यावधि में वृद्धि की जा सकेगी। योजना प्रारम्भ का वित्तीय वर्ष 2015-16 है।

9. योजना की कार्यावधि बढ़ाये जाने की स्थिति में सृजित पदों की कार्यावधि भी बढ़ायी जा सकेगी। तदनुसार सृजित पदों पर प्रतिनियुक्त/संविदा पर चयनित व्यक्ति की सेवा संतोषप्रद होने पर आवश्यकतानुसार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 1289 दिनांक- 24.07.2015 के आलोक में एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। योजना की समाप्ति के उपरांत उक्त सभी पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

10. संविदा पर नियुक्त अन्य कर्मियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश देय होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें कोई अन्य सेवालाभ देय नहीं होगा।

11. सभी पदों के लिए नियमानुसार आरक्षण रोस्टर लागू होगा, परन्तु एकल पदों के लिए आरक्षण रोस्टर प्रभावी नहीं होगा।

12. मुख्य सूचना पदाधिकारी (CIO) एवं उक्त अन्य 5 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासी पदवर्ग समिति के दिनांक-18.05.2016 को आयोजित बैठक की कार्यवाही (योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के ज्ञापांक-1579/वि0 दिनांक-26.05.2016) की कंडिका 9 में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

13. उपर्युक्त कंडिका- 4 - 11 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक-28.06.2016 को आयोजित बैठक की कार्यवाही के मद संख्या- 12 में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

14. यह संकल्प निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा।

600 के अंश
तथा
रित नियुक्ति
संलग्न
संविदा

श :-

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(एन० एन० सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 03- स्था०- 76/2015/ 3410 /ग्रा०वि०, राँची, दिनांक- 01.07.16

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस एवं प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 03- स्था०- 76/2015/ 3410 /ग्रा०वि०, राँची, दिनांक- 01.7.16

प्रतिलिपि :- सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित की जाती है कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध करावें।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 03- स्था०- 76/2015/ 3410 /ग्रा०वि०, राँची, दिनांक- 01.7.16

प्रतिलिपि :- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 03- स्था०- 76/2015/ 3410 /ग्रा०वि०, राँची, दिनांक- 01.7.16

प्रतिलिपि :- राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।